न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0 आर0 संख्या 40 / 2022 जिला भीलवाड़ा

धन्ना पुत्र श्रीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम बालापुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।

....अपीलांट

बनाम

1. रामदयाल पुत्र लादू,
2. पांची बैवा लादू,
3. रणजीत पुत्र लादू नाबालिग जरिये संरक्षक माता पांचीदेवी बैवा लादू गुर्जर
   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम बालापुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।

....असल रेस्पोडेन्टस

4. जीवण पुत्र भैरू जाति गुर्जर
5. भागू पुत्र देवकरण जाति बलाई
6. छाऊ पत्नि देवकरण जाति बलाई
7. परसराम पुत्र श्रीराम जाति गुर्जर
8. श्रीकिशन पुत्र ज्वार जाति गुर्जर
9. छोटू पुत्र रघुनाथ जाति गुर्जर
10. हंजा पत्नि जीवण जाति गुर्जर

समस्त निवासीगण ग्राम बालापुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।

.....तरतीबी रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी ,गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा राजस्व कैम्प कोर्ट ग्राम गागेडा दिनांक 10.06.2017 जो कि प्रकरण संख्या 144 / 2017 बउनवानी ''रामदयाल बनाम जीवण'' में पारित किया गया।

उपस्थित अभिभाषकः–श्रीमति गीतांजली राठौड़(अपीलांट अभि0)
रेस्पोडेंट अभिभाषकः–श्री रतनलाल वैष्णव

निर्णय दिनांकः–29.03.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बालापुरा पटवार हल्का बराठिया तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी खसरा नम्बर 120 / 3 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा जो कि रेस्पो0 1 से 3 के नाम दर्ज है। रेस्पो0 द्वारा धारा 128 एल आर एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा से पत्थरगढ़ी का आदेश दिनांक 10.06.2017 को कैम्प कोर्ट ग्राम गागेड़ा में प्रकरण संख्या 144 / 2017 में प्राप्त किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है। जिसके निम्नआधार अपील में बताये गये है–

1. विवादित आराजीयात के पड़ौसी खातेदार अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 है जिनके खेतों की सीमाऐ रेस्पो0 नम्बर 1 से 3 खेतों से लगती है। इस बाबत अपीलांट की उपस्थिति आवश्यक थी। कोई मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की गई , जो कि अनिवार्य प्रावधान था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 16:25:41 IST
Reason: SelfAttested

2. मात्र जमाबंदी के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।
3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एल0आर0एक्ट 1956 की धारा 128 में बताये गये प्रावधान और प्रक्रिया का पालन नही किया है।
4. अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2017 की पालना में तहसीलदार हुरड़ा द्वारा जारी पत्र दिनांक 13.04.2022 की सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। दिनांक 21.04.2022 को पत्थरगढ़ी की कार्यवाही को संपादित करने हेतु टीम जब मौके पर आकर पत्थरगढ़ी करने लगी तब अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2017 की अपीलांट को जानकारी हुई।
5. अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2017 की पालना विगत पांच वर्षो से नहीं हुई है।
6. पत्थरगढ़ी की आड़ में रेस्पो0 1 से 3 अपीलांट की आराजी में जबरन घुसकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। जबकि अपीलांट अपने खसरा नम्बर पर काबिज है। अपीलांट और रेस्पो0 के मध्य कोई विवाद नहीं है। बिना जांच किये उक्त पत्थरगढ़ी के आदेश निरस्त योग्य है। अंत में अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2017 को निरस्त किया जायें

अपील मीमौ के साथ अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम बाबत प्रस्तुत किया। इसके समर्थन में शपथ पत्र दिया। एक अन्य प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपील न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की गई, वकील अपीलांट के आग्रह पर एकपक्षीय बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम मियाद अवधि को देखा गया, वकील अपीलांट के अनुसार चूंकि दिनांक 10.06.2017 का निर्णय एकतरफा पारित किया गया था और अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। दिनांक 19.04.2022 को अपीलांट को राजस्व टीम एवं रेस्पो0 के पाने पर पत्थरगढ़ी बाबत नापजोख करने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई। दिनांक 20.04.2022 को उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा में अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 22.04.2022 को उसे नकल प्राप्त हुई। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा दिनांक 29.04.2022 को उक्त अपील प्रस्तुत कर दी गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जायें। पत्रावली का अवलोकन किया गया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.06.2017 में प्रार्थना पत्र 144/2017 में तामील के बिन्दुओं पर कोई विवेचन किया हुआ नहीं पाया गया। उक्त निर्णय में वकील प्रार्थी को सुना जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उक्त आदेश भी कैम्प कोर्ट गागेड़ा में सुनाया गया। अतः न्यायालय इस स्टेज पर यह मानता है कि अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं रही होगी। अपीलांट द्वारा जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत कार्यवाही कर न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर दी गई। अतः अपील को अंदर मियाद प्रस्तुत किया जाना माना जाता है।

बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा द्वारा दिनांक 10.06.2017 को विवादित निर्णय दिया गया था जो कि एल आर एक्ट की धारा 128 के तहत दिया गया था। उक्त आदेश की पालना अभी तक नहीं हुई है। दिनांक 13.04.2022 को उक्त आदेश की पालना हेतु तीन पटवारियों की एक टीम बनायी गयीं। दिनांक 19.04.2022 को जब टीम मौके पर आयी तब हमे जानकारी हुई। अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की हुई है। खसरा नम्बर 192,193 हमारे है, 195 खसरा नम्बर नाला है। हमारी सुनवाई नहीं की गई, रेस्पो0 नम्बर 1 से 3 के द्वारा खुद के खसरा नम्बर 120/3 पत्थरगढ़ी बाबत उक्त आदेश प्राप्त किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 15:25:41 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर प्रस्तुत खसरा नक्शा का अवलोकन किया गया, रेस्पो0 नम्बर 1 से 3 का खेत 120/3 खसरा नम्बर 192,193 से जुड़ा है तथा यह भी सही है कि खसरा नम्बर 195 जिसकी एक सीमा 120/3 से मिलती है तथा एक सीमा 192,193 के जुड़ाव बिन्दु पर मिलती है। खसरा नम्बर 195 रकबा 0.8094 हे0 ग्राम बालापुरा गैर मुमकीन

नाला है। उक्त अंकन जमाबंदी संवत 2077 वर्ष 2020 के अनुसार सही है। खसरा नम्बर 192,193 जमाबंदी 2077 वर्ष 2020 ग्राम बालापुरा अपीलांट के नाम दर्ज है जो सही है।

अपीलांट के खसरा नम्बर 192,193 रेस्पो0 नम्बर 1 से 3 के खसरा नम्बर 120/3 से सटे हुए है। अपीलाधीन आदेश पारित करते समय एवं वह पत्थरगढ़ी करने आये उस समय भी अपीलांट को सूचना नहीं दी गई। ऐसी अवस्था में पत्थरगढ़ी का लाभ लेते हुए रेस्पो0 1 से 3 अपीलांट के खेतों की नींव को नुकसान पहुंचाकर आवागमन के रास्ते को बंद कर सकते है। जिससे अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी इस बाबत अपीलांट द्वारा अपने स्थगन प्रार्थना पत्र में आशंका व्यक्त की है तथा निवेदन किया है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण , सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपीलाधीन आदेश 10.06.2017 की पालना अपील के निर्णय होने तक स्थगित रखी जायें तथा रिकोर्ड और मौके की यथास्थिति रखी जायें।

बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। वकील रेस्पोडेंट द्वारा न्यायालय में मौखिक बहस की गई। लिखित बहस में अपीलांट की ओर से बताया गया कि अपीलाधीन आदेश बिना पड़ौसी खातेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये कैम्प कोर्ट गागेड़ा में दिनांक 16.10.2017 को पारित किया गया है। वह न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। जैसा कि आरआरडी 1984 पेज 111 के न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित किया गया है।

अपीलाधीन आदेश की पालना वर्ष 2022 तक नहीं करवायी है। राजस्व मण्डल के प्रकरण राजेन्द्रसिंह बनाम सतवीर सिंह में प्रतिपादित सिद्धांत में अधीनस्थ न्यायालय के धारा 111,128 के प्रकरणों को निस्तारित करने की विधिक प्रक्रिया बतायी गई है। जिसके आधार पर ही निस्तारित किया जा सकता है। आवश्यक पक्षकार भूमिधारी तहसीलदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.06.2017 एवं नॉनरिजण्ड आदेश है। लिखित बहस के अंत में अपील को स्वीकार करने हेतु निवेदन किया तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.07.2017 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया। मौखिक बहस में वकील रेस्पोडेंट द्वारा बताया गया कि दिनांक 12.05.2022 को पत्थरगढ़ी हो चुकी है। इनका वह खेत नहीं है। कब्जा छुड़वाने बाबत हमने बेदखली की कार्यवाही की है। रेस्पोडेंट द्वारा आरआरटी 2021(2) पेज 1259 गजा बनाम केवा न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है तथा अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्तमान अपीलांट में धन्ना पिता श्रीराम जाति गुर्जर निवासी बालापुरा को रेस्पोडेंट नम्बर 4 पर दर्ज किया हुआ पाया जाता है तथा विवादित खसरा नम्बर 120/3 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा को बताया गया है। अपने प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 2 में रेस्पोडेंट द्वारा यह अंकित किया गया है कि विपक्षीगण प्रार्थी की कृषि आराजीयात के पड़ौसी है। जिनको अपनी आराजी की सीमा का ज्ञान न होने से प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण आराजी की सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। जिसे प्रार्थी अपनी कृषि आराजी पत्थरगढ़ी स्थायी सीमा चिन्ह स्थापित करवाना चाहता है। पैरा 3 में उसके द्वारा यह अंकित किया है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को सहमति से पत्थरगढ़ी/स्थायी सीमा चिन्ह स्थापित कराने का निवेदन किया। परंतु विपक्षीगण ने मना कर दिया। जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायालय में दिनांक 10.06.2017 को प्रस्तुत किया गया और उसी दिन कैम्प कोर्ट गागेड़ा में उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 124/2017 में निर्णय कर दिया गया। उक्त निर्णय से पूर्व रेस्पोडेंट को कोई भी नोटिस जारी नहीं किये गये। ना ही तलबी की गई। ना ही आवश्यक तहसीलदार से कोई रिपोर्ट उनके द्वारा मंगवायी गई और एक ही दिन में निर्णय पारित कर दिया गया। जो किसी भी हालत में उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:25:41 IST
Reason: SelfAttested

यहां तक भी तहसीलदार को भी उक्त प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित नही किया जाना पाया जाता है। यह सही है कि किसी भी काश्तकार को अपने कृषि भूमि की सीमाओं का ज्ञान रखने का अधिकार है। मगर इस बाबत निर्देशित प्रक्रिया का भी पालन किया जाना आवश्यक है। सीमा विवाद के बारे में यह स्पष्ट प्रावधान है कि लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर अर्थात उपखण्ड अधिकारी सीमा विवाद को तय करेगा। उक्त निर्णय वर्तमान सर्वे मेप के आधार पर किया जायेगा। अगर सर्वे में नहीं है तो वास्तविक कब्जे के आधार पर सीमाज्ञान करवाया जायेगा अर्था जहां कोई विवाद ना हो और सिर्फ सीमाज्ञान करना हो तो वहां तहसीलदार के द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। परंतु जहां विवाद की स्थिति हो वहां लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर धारा 111 के प्रावधान के तहत सीमाज्ञान करवायेगा। लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर(उपखण्ड अधिकारी) के पास विवाद आने पर वह तहसीलदार को सीमाज्ञान कराने का आदेश दे सकता है या राजस्व विभाग की टीम बनायी जा सकती है और मौके की स्थिति की रिपोर्ट मंगवायी जा सकती है। फिर दोनो पक्षों को सुनकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किया जायेगा और संबंधित पक्षकारों को पाबंद करेगा कि किस पक्ष की सीमा कहा तक है और उसमें दूसरा पक्ष किसी तरह हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस तरह लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर द्वारा स्पष्ट आदेश दिया जाना चाहिए। बाउण्डरी विवाद के बारे में यह तय करना चाहिए कि बाउण्डरी कहां स्थापित है और पैमाइस के आधार पर सीमाऐं कहां बनेगी। अपने निर्णय के आधार पर लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर सीमा रेखा स्थापित करेगें। सीमा निर्धारित करने के बाद पत्थरगढ़ी हेतु संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया जायेगा। पत्थरगढ़ी का खर्च कौन उठायेगा। यह भी लैण्ड रिकोर्ड ऑफिसर द्वारा निर्धारित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार तार्किक आदेश उपखण्ड अधिकारी/लैण्ड रिकोर्ड आफिसर द्वारा जारी किये जाने पर पक्षकार यदि फिर भी संतुष्ट नहीं होते है तो वे अपील का लाभ ले सकते है। वर्तमान प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा किसी प्रक्रिया का पालन न करते हुए प्रतिदिन जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो कानून की दृष्टि में व्यर्थ आदेश है। उनके द्वारा नियमों की प्रक्रियाओं की पालना नहीं की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश द्वारा उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा प्रकरण संख्या 144/2017 उनवानी रामदयाल बनाम जीवन एवं अन्य निर्णय दिनांक 10.06.2017 को निरस्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:25:41 IST
Reason: SelfAttested